संख्या-आ0मि0-[illegible]110 /96-आयुष-2-2020-127/2016

प्रेषक,

राज कमल यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनाँक 19 अक्टूबर, 2020

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा संचालित योग वेलनेस सेन्टर के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-513/306/मि0नि0/2020-21, दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योग एवं यौगिक क्रियाओं द्वारा उपचार को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत संचालित योग वेलनेस सेन्टर में योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक के आबद्धीकरण शासनादेश संख्या-आ0मि0-56/96-आयुष-2-2017-127/2016, दिनांक 03.07.2017 एवं शासनादेश संख्या-आ0मि0-40/96-आयुष-2-2018-127/2016, दिनांक 30.01.2018 एवं शासनादेश संख्या-आ0मि0-621/96-आयुष-2-2018-127/2016, दिनांक 17.03.2018 में दी गयी व्यवस्थाओं के स्थान पर निम्नवत व्यवस्था स्थापित की जाती है:-

क्र0 सं0	विषय	पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुसार प्रचलित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1.	उम्र की क्या सीमा है ?	योग प्रशिक्षक/योग सहायक हेतु न्यूनतम 21 वर्ष से अधिक किसी भी उम्र का हो सकता है। स्वस्थ एवं 65 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।	योग प्रशिक्षक/योग सहायक हेतु न्यूनतम 21 वर्ष से अधिक किसी भी उम्र का हो सकता है। स्वस्थ एवं 65 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
	योग्यता एवं अनुभव क्या हो?	(1) योग प्रशिक्षक :- (ए) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयो/संस्थानो से साढ़े पॉच वर्षीय कोर्स बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस(बी0एन0वाई0एस0) या एम0एस0सी0 (योग) की डिग्री प्राप्त। इन्हें अनुभव की छूट देते हुए वरीयता दी जायेगी। अथवा (बी)बी0एस0सी0(योग) तीन वर्षीय डिग्री	(1) योग प्रशिक्षक :- (ए) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ संस्थानो से साढ़े पॉच वर्षीय कोर्स बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस(बी0एन0वाई0एस0) डिग्री धारक को वरीयता दी जायेगी। अथवा (बी)1. बी0ए0(योग) तीन वर्षीय डिग्री धारक/बी0एस0सी0(योग) तीन वर्षीय

2020

		धारक/एम0ए0 (योग) डिग्री धारक जिनका एक वर्षीय अनुभव हो। अथवा (सी) पी0जी0 डिप्लोमा (न्यूनतम एक वर्षीय पाठ्यक्रम)डिप्लोमा धारक जिनका तीन वर्षीय अनुभव हो।	डिग्री धारक/एम0एस0सी0 (योग)/एम0ए0 (योग) डिग्री धारक। 2. अनुभव–एक वर्ष। अथवा (सी)1.पी0जी0 डिप्लोमा (न्यूनतम एक वर्षीय पाठ्यक्रम)डिप्लोमा धारक। 2. अनुभव–दो वर्ष। नोट :–कार्य का अनुभव प्रमाणपत्रनिर्धारित डिग्री/पी0जी0 डिप्लोमा के उत्तीर्ण करने के उपरान्त का ही मान्य होगा।
		(2) योग सहायक :– हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट के उपरान्त योग में न्यूनतम तीन माह का सर्टिफिकेट कोर्स एवं नैचुरोपैथी क्लीनिक/अस्पताल या योग सेण्टर में कार्य का तीन वर्षीय अनुभव हो।	(2) योग सहायक :– इण्टरमीडिएट या समकक्ष योग्यता के उपरान्त योग सेण्टर/नैचुरोपैथी सेण्टर/आयुष चिकित्सालय– जिसमें स्वस्थवृत एवं योग से सम्बन्धित क्लीनिक (बहिरंग) में कार्य करने का दो वर्षीय अनुभव हो।
3.	नियुक्ति की अवधि	01 वर्ष के लिए है यह योजना आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अतः अवधि का निर्धारण वहीं से होगा।	01 वर्ष के लिए है यह योजना आयुष मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अतः अवधि का निर्धारणआयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
4.	चयन की प्रक्रिया	यह नियुक्तियाँ न तो किसी सृजित पद के विरूद्ध होनी है और न ही यह नियमित तैनाती है। अतः ऐसे संविदा के संबंध में अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन0ए0एम0) द्वारा समय–समय पर जारी एवं प्रचलित निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।	यह नियुक्तियाँ न तो किसी सृजित पद के विरूद्ध होनी है और न ही यह नियमित तैनाती है। अतः ऐसे आवद्धीकरण के संबंध में अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन0ए0एम0) द्वारा समय– समय पर जारी एवं प्रचलित निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
5.	क्या इन्हें आउटसोर्स से लिया जायेगा?	नही। चूँकि एकमुश्त मानदेय पर कार्य लिया जाना हैएवं आउट सोर्स एजेन्सी के स्तर से कटौती आदि होती है अतः क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी द्वारा सीधे अनुबन्ध कर संविदा पर रखा जायेगा।	योग वेलनेस सेण्टर में योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक के आवद्धीकरण की प्रक्रिया सम्बन्धित जनपद में निम्नवत् गठित समिति द्वारा की जायेगी – (1) मुख्य विकास अधिकारी–अध्यक्ष (2)क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी–सदस्य सचिव (3)जिलाहोम्योपैथी चिकित्साधिकारी –सदस्य (4)योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ (स्थानीय) –सदस्य
			योग प्रशिक्षक को धनराशि रू0– 27,000.00 (रूपया सत्ताईस हजार मात्र) एवं योग सहायक को धनराशि रू0–10,000.00 (रूपया दस हजार मात्र) एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक शासनादेश दिनांक–03 जुलाई, 2017 में किये गये निर्धारण के अनुसार दिया जायेगा।

Scanned by TapScanner

6.	कार्यकाल	----	योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा स्वीकृत एक वर्ष के लिए अनुबन्धित किये जायेगें। राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा योजना के निरन्तरता के अनुमोदनोपरान्त एक वर्ष के बाद दूसरे अनुबन्ध के मध्य न्यूनतम् 15 दिन का अन्तराल अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। संबंधित योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक ही अनुबन्ध किया जा सकेगा। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कार्यकाल स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

2- उक्त आदेश पत्र निर्गतोंपरान्त की जाने वाली नियुक्तियों पर प्रभावी माने जायेगें।
कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज कमल यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- आ०नि०-110 **(1)/96-आयुष-2-2020तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जिलाधिकारी।
2. सम्बन्धित जिलों के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यक्रम प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।
4. निदेशक, आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कमल यादव)
विशेष सचिव।

Scanned by TapScanner